P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-IV*December-2014
E: ISSN NO.: 2349 – 980X

महिला सशक्तिकरण–बाधाएं और चुनौतियाँ

संगीता भटनागर
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
शासकीय स्वशासी
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दतिया, म0प्र0

सारांश

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की राह में अनेक बाधाएं विद्यमान हैं। महिला और पुरुष दोनों की भारत में समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त है तथापि समाज में स्त्री–पुरुष असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। अवैतनिक कार्य करने के बावजूद समाज में सम्मान नहीं मिल सका है। पुरुष प्रधान समाज में घरेलु कार्यों को निम्न स्तर का माना जाता है अतः भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को सर्वमान्य बनाने की आवश्यकता बनी हुई है। सम्पत्ति में अधिकार, बढ़ती हुई हिंसा, स्त्री विरोधी मानसिकता, कार्यस्थल पर शोषण, भ्रूण हत्या, सामाजिक सुरक्षा, बलात्कार की समस्याओं ने सुरक्षित वातावरण निर्मित करने की अनिवार्यता का स्वर मुखर किया है। शिक्षा एवं कानूनों के क्रियान्वयन सशक्तिकरण में महती भूमिका निभा सकते हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र में कुछ उभरती हुई प्रवृत्तियों तथा ज्वलन्त प्रश्नों के समाधान पर विचार किया गया है।

मुख्य शब्द : सशक्तिकरण, राजनैतिक, संवैधानिक, महिलाओं

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं में जीवन को स्वेच्छा से निर्वाह करने का क्षमता की विकास करना है जिससे समाज में महिलाओं को समानता का स्थान प्राप्त हो। उन्हें घर तथा कार्यस्थल में अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। समाज में सुरक्षा प्राप्त हो, समाज की उनके प्रति मानसिकता स्वस्थ हो। महिला एवं पुरुष दोनों को भारत में समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। समान अवसर, समान शिक्षा और समान न्याय के अधिकार प्राप्त होने से महिलाओं की समाज आर्थिक स्थिति में भारी बदलाव आया है।

महिलाओं की स्थिति (जनगणना–2011)

भारत की जनगणना 2011 को दर्शाने के लिए जनगणना के प्रतीक में प्रयुक्त रेखाएं मकान सूचीकरण और आवासीय गणना को लोगों द्वारा व्यक्त किया गया है। इन नौ लोगों में 03 वयस्क महिलाएं (पीछे बाल में जूड़ा बनाए हुए) 02 वयस्क पुरुष, 02 लड़कियाँ (पीछे बाल में दो जूड़ा बनाए हुए) तथा 02 लड़के हैं। मकान के बीच में गोलाकार वृत्त में प्रदर्शित लोग समावेशी विकास में भागीदारी को इंगित करते है।[1] स्पष्ट है कि जनगणना में महिला पुरुष को समान स्थान दिया गया है। देश में 1.21 अरब जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या 58.64 करोड़ है। लिंगानुपात की दृष्टि से 6 साल तक के बच्चों में ह्रास स्पष्ट दिखाई दिया है। 1000 लड़कों पर यह अनुपात 927 से घटकर 914 हो गया है। यद्यपि देश में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 से बढ़कर 940 हो गई है। राज्यवार इनकी संख्या में भिन्नताएं हैं।

स्त्री–पुरुष असमानता सूचकांक

महिला शिक्षा में बढ़ोत्तरी के बावजूद वैश्विक आर्थिक मंच की 2014 की स्त्री–पुरुष असमानता सूचकांक में 142 देशों में भारत का 114 वां स्थान रहा अर्थात भारत में भारी मात्रा में असमानताएं विद्यमान हैं। आर्थिक सहभागिता, शैक्षणिक उपलब्धियों, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के मापदण्ड पर भी भारत विश्व के मापकों के औसत से निम्न स्थान पर है। "वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा अक्टूबर 2014 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में 101 वें स्थान से 13 स्थान नीचे गिरकर 114 में स्थान पर आ गया है। सशक्तिकरण के संकेतकों जैसे श्रमशक्ति में सहभागिता, उपार्जित आय, साक्षरता दर तथा जन्म के समय लैंगिक अनुपातों के दृष्टिकोण से 20 सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रों में से एक है। राजनैतिक सशक्तिकरण सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 20 देशों में भारत को स्थान मिला है। आर्थिक आधार पर महिला पुरुष असमानता सबसे अधिक है।

यह असमानता अवैतनिक कार्य पर प्रतिदिन व्यय किए गए औसत मिनट पर आधारित है। महिला–पुरुष के मध्य अवैतनिक कार्य का अंतर 300 मिनट का है।[2] इससे स्पष्ट है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक कार्य करती हैं किन्तु यह कार्य बिना वेतन का है। इस कारण भी महिलाओं के कार्य को सम्मान नहीं मिलता है। अर्थात उनका अधिकांश समय (Thankless Job, Salary less) में बीतता है। संस्थाएं भी Honorary Works को सम्मान देती हैं। किन्तु महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है।

वैश्विक समंकों के आधार पर हम देखें तो पुरुश प्रतिदिन अवैतनिक घरेलू कार्यों में औसत 19 मिनट का समय देते हैं जबकि आयरलैण्ड, यू.के., दक्षिण अफ्रीका, यू. एस., जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क तथा सोल्वेनिया में क्रमशः 49, 66, 69, 82, 90, 93, 98,107, 114 मिनट प्रतिदिवस का समय पुरुश घरेलू कार्यों को देते हैं। स्पष्ट है कि भारत में पुरुश प्रधान मानसिकता में घरेलू कार्यों को निम्न माना गया है और इनको सम्पादित करने का कार्य महिलाओं को दिया जाता है। ये उत्तरदायित्व न निभा सकने वाली महिलाओं को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। घर और बाहर दोनों तरह के कार्यों को अच्छी तरह से निभाने पर सम्मान दिया जाता है। घर के कार्यों में कमी रहने पर उच्च शिक्षित महिलाओं को भी तानों तथा व्यंग्य बाणों का सामना करना पड़ता है। तालिका द्वारा अवैतनिक घरेलू कार्य की स्थिति दर्शाई गई है।

Where in the World do Men do the Most House Work

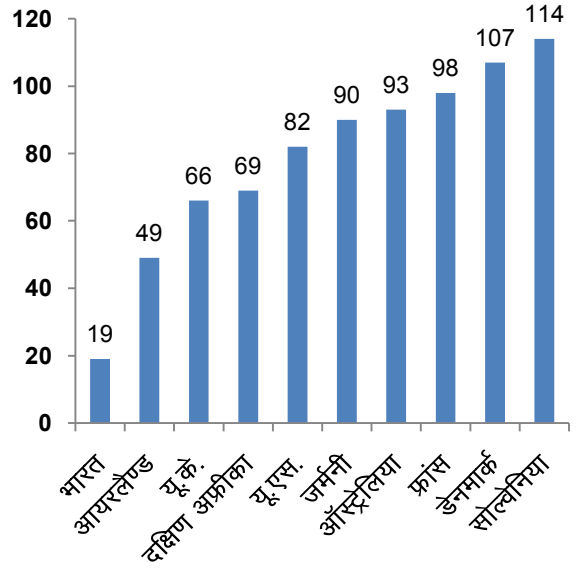

अवैतनिक घरेलू कार्यों में पुरुषों द्वारा प्रतिदिवस व्यय किए गए औसत मिनट

तालिका से भारतीय समाज की मानसिकता का पता चलता है जिसमें घरेलू कार्यों को संपादित करना दोयम दर्जे का काम समझा जाता है। पूर्व में तो महिलाओं को पैर की जूती तक कहा जाता रहा है। भारत में अनेक जातियों में आज भी महिलाएं घूंघट में जाने कितने उत्पीड़न सहती हैं। जिनकी एक बात भी घर में नहीं सुनी जाती है। और तो और उन्हें भोगने की वस्तु समझा जाता है। बच्चा पैदा करने की मशीन और मुफ्त की नौकरानी मानकर उन्हें कभी इंसा नही समझा जाता, जो पुरुष महिला की सही बात भी मान लेता है तो उसे 'जोरू का गुलाम' कहा जाता है। ऐसे समाज में महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य काफी संघर्ष करने के उपरांत मिलेगा, यह कहना भी ठीक नहीं होगा। बरसों पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था, "दुर्गुणों से दूर रहिए, बेटियों को लिखाइये–पढ़ाइये, उनके मन में महत्वाकांक्षाएं पैदा होने दीजिए, उनकी शादी जल्दी करने की कोशिश मत कीजिए।" यही कारण है कि भारतीय संविधान के इस प्रमुख शिल्पी ने भारत के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बन्धुत्व को उद्देशिका में ही स्पष्ट कर दिया।

संवैधानिक प्रावधानों ने महिला सशक्तिकरण की राह प्रषस्त कर दी है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों ने सामाजिक असमानाओं एवं विशेषाधिकारों का उन्मूलन अर्थात जाति, लिंग, धर्म, भाषा, प्रदेश या अन्य किसी आधार पर भेदभाव या ऊंच–नीच की समाप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।"स्त्रियाँ किसी भी समाज की प्रगति का दर्पण होती है।"[3] हिन्दू कोड बिल में कन्या के विवाह की निर्धारित तत्कालीन न्यूनतम आयु में वृद्धि, एक विवाह को अनिवार्य किया जाना, अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता, स्त्रियों को पुरुषों के समान तलाक का अधिकार, तलाकशुदा स्त्री को अपने पति से भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता, स्त्री को पुत्री, पत्नी व माँ के रूप में पारिवारिक सम्पत्ति का अधिकार के सुझावों ने (जो बाद में पृथक–पृथक संशोधनों के साथ स्वीकृत किए गए) महिला को सशक्त बनाया है।

स्त्री को पुत्री के रूप में पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार की स्थिति जानने के लिए किए गए (100) महिलाओं के सर्वेक्षण में यह प्राप्त हुआ कि 99.9 प्रतिषत महिलाओं ने परिवार की सम्पत्ति पर कोई दावा प्रस्तुत ही नहीं किया। भारत में आपसी रिष्तों के सामंजस्य प्रेम के ताने बाने से बुने होने के कारण महिलाओं ने अपने भाइयों तथा परिवार के रिश्तों को आर्थिक घटकों से परे रखा है। जहाँ उन्होंने विवाहोपरान्त कठिनाइयों यथा विवाह–विच्छेद, विधवा अथवा पति द्वारा धोखा दिए जाने की स्थिति इत्यादि में आर्थिक कठिनाइयाँ होने पर अपना अधिकार मांगा है। वहाँ उन्होंने पारिवारिक क्लेश, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, विरोध का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक पारिवारिक रिश्तों–नातों से भी हाथ धोना पड़ता है। मजबूरी में न्याय पाने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं।

महिलाओं के विरूद्ध बढ़ती हिंसा

घर हो घर से बाहर, महिलाओं तथा बालिकाओं पर इज्ज़त का खतरा मंडराता रहता है क्योंकि संवैधानिक अधिकारों, कठोर नियमों के बावजूद सामाजिक सुरक्षा का वातावरण निर्मित नहीं हो सका है। "आज जब हमने ब्रह्माण्ड व मानवता के बहुत से जटिल रहस्य सुलझा लिये हैं, तब भी दुनियाभर में ऐसी आदिम बुराई का पाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया भर में लगभग 35 प्रतिशत महिलाओं को अपने जीवन काल में एक न एक बार शारीरिक अथवा यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है।"4 नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार– "भारत में हर तीन मिनट में किसी

न किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है। भारत में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, नवजात कन्या शिशुओं की हत्या,एसिड अटैक, मानव तस्करी, ऑनर किलिंग व दहेज से संबंधित हिंसा व शोषण की अधिकता से दृष्टिगोचर होते हैं।" दिल्ली में हुई गैंग–रेप काण्ड भारत में बहुत होते रहते हैं। खुले में शौच जाने को विवश ग्रामीण महिलाओं के विरूद्ध जाने कितने अपराध अपंजीकृत रह जाते हैं? यूबेर काण्ड की अभी ताजा घाव दे चुका है। जबकि यूबेर एक बहुराष्ट्रीय टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी थी। देश भर में "स्त्री विरोधी मानसिकता का बोलबाला है। व्यवस्था और समाज इस कदर से रुग्ण और कुत्सित मानसिकता की गिरफ्त में है कि बलात्कार की घटना के बाद लड़कियों के रहन सहन पर ही सवाल उठाये जाते हैं।"[5]

देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की स्थिति पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि मात्र बलात्कार तथा महिला उत्पीड़न के मामलों में वर्ष 2013 से वर्ष 2014 में क्रमशः 31.70 प्रतिशत तथा 24.93 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी इस पर समाधान स्वरूप यह कहते हैं कि महिलाओं को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि वह अपने आप छेड़छाड़ करने वालों की पसलियाँ तोड़ दे तो क्या यह वास्तविक समाधान है? सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा इतना हल्का नहीं है। वैज्ञानिक सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आविश्कृत स्मार्ट फोन, वॉच, मिर्च का स्प्रे और हैल्पलाइन को प्रचारित कर लोकप्रिय तो बनाना ही होगा साथ ही कड़े कानूनों का क्रियान्वयन ही इन अपराधों में कमी ला सकेगा।

कार्यस्थल पर यौन शोषण

शिक्षा ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। यही कारण है कि रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है किन्तु सुरक्षित वातावरण निर्मित करने हेतु कोई सशक्त प्रयास नहीं किए गए हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा सम्बन्धी आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए बनाई गई समितियों के सदस्य स्वयं महिलाओं के प्रति स्वस्थ मानसिकता नहीं रखते। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का 26 प्रतिशत भाग महिलाएं हैं। इनकी संख्या 15 करोड़ से अधिक है।संगठित क्षेत्र में 60 लाख महिला का कार्यशील कर्मचारियों का यह भाग 20 प्रतिशत है।ग्रान्ट थार्नटन के अनुसार, विश्व में 24 प्रतिशत महिलाएं वरिष्ठ स्तर पर कार्य कर रही हैं जबकि भारत में यह प्रतिशत मात्र 14 प्रतिशत है। सेबी ने अप्रैल 2015 तक का समय महिलाओं के उच्च पदों पर भर्ती हेतु दिया है। फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन हेतु सुझाव दिया गया है कि रात्रि में फैक्ट्री में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जायेगा।[6] विगत दो वर्षों में यौन शोषण की शिकायतों में 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है।

नेशनल कमीशन फॉर वूमैन द्वारा पंजीकृत यौन शोषण की शिकायतें

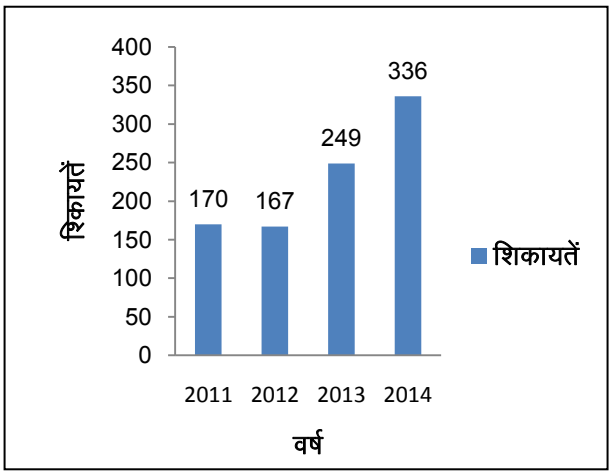

स्रोत :टाइम्स ऑफ इण्डिया, 21 दिसम्बर, 2014

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2014 के मध्य शिकायतों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्श 2013 में पारित अधिनियम (Sexual harassment of women at workplace (prevention, prohibition and redressal act 2013) ने सभी आयु, रोजगाररत महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर संरक्षण देकर सुरक्षा गारण्टी को बढ़ाया है किन्तु अधिनियम का पालन कड़ाई से होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि महिला को मानवीयता की मानसिकता से देखें। महिला मानव है। मैत्रेयी पुष्पा कहती है– "हमें औरत समझा जाता है, लेखिका नहीं[7] तो कितनी दुखद बात है कि ऊँचे मुकाम हासिल करने के उपरान्त भी महिला को समान सम्मान देना पुरुश समाज को अखरता है। समाज में कुछ हल्की सी उभरती हुई प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। षायद ये कुहरे को चीरती हुई धूप है जिसमें मानव होने का दायित्व बोध फैल रहा है कि आज लिंगभेद समाप्त करना अनिवार्य आवष्यकता बनती जा रही है। बदलती हुई अर्थव्यवस्था, पर्यावरण तथा उच्चतर तकनीकों के युग में महिला के प्रति मानसिकता में परिवर्तन कोई ज्यादा बड़ी अपेक्षा नहीं है। शिक्षा तथा कानूनों के क्रियान्वयन सशक्तिकरण में महती भूमिका निभा सकेंगे। पुरुश प्रधान समाज में पुरुशों को कोसने की अपेक्षा अपनी कमजोरियों को दूर करके योग्यताओं से अपना लोहा मनवाना होगा। उच्च शिक्षित तथा शिक्षित महिलाओं को अशिक्षित तथा असाक्षर महिलाओं को जागरुक करने के लिए सहयोग देना उपयुक्त एवं समय की मांग है।

भारत में जनस्वास्थ्य के संदर्भ में वह तथ्य उभर कर सामने आया है कि महिला सशक्तिकरण की राह में जनजागरूकता का अभाव पाया गया है। महिलाएं स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूक होती हैं साथ ही निर्धन परिवारों के सदस्य महिलाओं तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य के प्रति कम चिंतित रहते हैं। लखनऊ में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिये काम कर रही ऋचा सिंह कहती हैं– "स्वच्छता का नाता महिलाओं की पूरी जीवनचर्या से हैं.....अनहाइजेनिक डाइटव पोषाक के कारण ही महिलाओं को कई तरह की बीमारियाँ होती हैं।..... ग्रामीण इलाकों में प्रसव के बाद

महिलाओं को अस्वच्छ स्थितियों में रखा जाता है उससे कई बार जच्चा–बच्चा की जान भी चली जाती है। सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिहाज से महिलाओं के लिए शौचालय का होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार महिलाओं को शौच जाने के लिए अंधकार होने का इंतजार करना पड़ता है जिससे पेट सम्बन्धी बीमारियाँ हो जाती है।"[8]केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वार्शिक रिपोर्ट दिसम्बर 2011 के अनुसार संक्रामक मातृजन्म, प्रसवपूर्व और पोषण बीमारियों के कारण 38 प्रतिशत मौतें होती है। भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विषिश्ट अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी भारत के विकास की सफलता की अनिवार्य शर्त महिला सशक्तिकरण को बताया है। जिस प्रकार एक गाड़ी के संतुलन के लिए दोनों पहियों का बराबर तथा सशक्त होना आवश्यक होता है उसी प्रकार समाज में महिला एवं पुरुष का बराबर और सशक्त होना अनिवार्य है।

संदर्भ सूची

1. राजू सिंह, भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था।
2. प्रतियोगिता किरण, दिसम्बर 2014, पृष्ठ संख्या–50
3. डॉ. रामगोपाल सिंह– 'डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक विचार' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ 115
4. डॉ. मुनीश रायजादा– 'विश्व में महिलाओं के विरूद्ध बढ़ती हिसा', यथावत, 16–31 दिसम्बर 2014, पृष्ठ 54
5. भाषा सिंह– 'शर्म इनको मगर नहीं आती', आउट लुक, 16–31 दिसम्बर 2014, पृष्ठ 4
6. Lubna Kably- Do we really care for our women staff? ET, 18th Nov-2014, Page 13
7. मैत्रेयी पुष्पा– हमें औरत समझा जाता है लेखिका नहीं, अहा जिन्दगी 2012.....,
8. आशुतोष कुमार सिंह– 'स्वच्छ भारत से ही साकार होगा स्वस्थ भारत', योजना जनवरी 2015, पृष्ठ 37